

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 26 सितम्बर, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धन/138/10, दिनांक 19-09-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एल0एम0एस0 महाविद्यालय, सकीट, एटा को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल) विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-610(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बालूगंज, आगरा।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, एल0एम0एस0 महाविद्यालय, सकीट, एटा
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 26 सितम्बर, 2010

विषय:- महाविद्यालय संयोजन हेतु सम्बद्धता की स्वाकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धन/139/10, दिनांक 19-09-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एल0एम0एस0 महाविद्यालय, सक्रीट, एटा को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस-सी0 (बायो-मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्राप्ति 'सी' के अन्तिम शर्तों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-578(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बालूगंज, आगरा।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, एल0एम0एस0 महाविद्यालय, सक्रीट, एटा।
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।